प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया हो))

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। फलौदी— 122 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य)की विधानसभा के लिए निर्वाचन। निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि

श्री पब्बाराम

(नाम)

199, बापूनगर, फलौदी जिला : जोधपुर (राज.)फलौदी (पता)

[जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रिजस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम) उपयुक्त निर्वाचन— क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः जोधपुर

दिनांक : 11.12.2018

(अलोक जैन) ट्रिट्निंग अधिकारी 122- फलोदी

FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from (122) PHALODI Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

Sh. PABBA RAM

(Name)

199, BAPU NAGAR, PHALODI DIST: JODHPUR (RAJ.) (Address)

Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place: Jodhpur Date: 11-12-2018

Returning Officer
122- PHALODI